

कार्यालय:- जिला शिक्षा अधिकारी , प्रा0शि0 पिथौरागढ़।

Email:- deobasicpithoragarh@gmail.com

आदेश संख्या/प्रा0शि0/ 283 (1) /स्था0अधि0अनु0स्था0/2026-27 दिनांक :- 25 अगस्त, 2026

::विज्ञप्ति/स्थानान्तरण आदेश::

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 (उत्तराखण्ड अधिनियम-01 वर्ष-2018) के क्रम में उक्त वर्णित अधिनियम की धारा 16(01) के अन्तर्गत गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर तथा उत्तराखण्ड शासन, कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या 410684/XXX (2)/2026 -E 26941 दिनांक 06 जुलाई, 2026 एवं शासनादेश संख्या 410893/XXIV-B-1/2026/13(12)2011 TC-1 माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-01 दिनांक 07 जुलाई, 2026 के आलोक में महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून के पत्रांक- सेवा-2/1519-20/स्थानान्तरण/2026-27 दिनांक 10 जुलाई, 2026, में दिये गये निर्देशों के क्रम में स्थानान्तरण अधिनियम की उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा 17 (1) (ख) के खण्ड (एक) में वर्णित प्राविधानों के अनुसार निम्नांकित शिक्षकों (स0अ0 उच्च प्राथमिक स्तर-गम्भीर रोगस्त) को अनुरोध के आधार पर स्तम्भ 06 में अंकित विद्यालय में उनके द्वारा प्रस्तुत विकल्पों के आधार पर निजी व्यय पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र0 सं0	शिक्षक का नाम	पदनाम	विषय	वर्तमान कार्यरत विद्यालय	स्थानान्तरण विद्यालय का नाम	अनुरोध की उप श्रेणी	अभ्युक्ति
01	02	03	04	05	06	07	08
01	श्रीमती उषा चनकन्याल	स0अ0 उच्च प्राथमिक	सामान्य	रा0उ0प्रा0वि0 भौतड़ी, कनालीछीना पिथौरागढ़।	रा0उ0प्रा0वि0 नैनीसैनी बिण पिथौरागढ़	17(1) (ख) (एक)	-
02	श्री त्रिलोक सिंह	स0अ0 उच्च प्राथमिक	सामान्य	रा0उ0प्रा0वि0 नौलड़ा, मुनस्यारी पिथौरागढ़।	रा0उ0प्रा0वि0 गिरगॉव, मुनस्यारी, पिथौरागढ़	17(1) (ख) (एक)	-
03	श्रीमती सावित्री बिष्ट	स0अ0 उच्च प्राथमिक	हिन्दी	रा0क0उ0प्रा0वि0 लिन्द्यूड़ा, विण पिथौरागढ़।	रा0क0उ0प्रा0वि0 ऐचोली विण पिथौरागढ़	17(1) (ख) (एक)	-
04	श्री युगल किशोर वर्मा	स0अ0 उच्च प्राथमिक	विज्ञान	रा0क0उ0प्रा0वि0 ओझागॉव, कनालीछीना पिथौरागढ़।	रा0उ0प्रा0वि0 लिन्द्यूड़ा बिण पिथौरागढ़	17(1) (ख) (एक)	-

ह0/-

(तरुण कुमार पन्त)
जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा, पिथौरागढ़।

नोट:- स्थानान्तरित शिक्षक द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश के निर्गत होने के तीन (03) दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।

पृ0सं0/प्रा0शि0/ 10725-33 /स्था0अधि0अनु0स्था0/2026-27 दिनांक:- उक्ततिथि।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

01. जिलाधिकारी महोदय, पिथौरागढ़।

02. अपर जिलाधिकारी महोदय, पिथौरागढ़।

L

कार्यालय:- जिला शिक्षा अधिकारी , प्रा0शि0 पिथौरागढ़।

Email:- deobasicpithoragarh@gmail.com

03. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
04. मण्डलीय अपर निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
05. मुख्य शिक्षा अधिकारी, पिथौरागढ़।
06. वित्त एवं लेखाधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा पिथौरागढ़।
07. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद पिथौरागढ़ को इस आशय से प्रेषित की स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही यदि स्थानान्तरण के फलस्वरूप विद्यालय में दो शिक्षक होने की स्थिति में स्थानान्तरित शिक्षक के प्रतिस्थानी के आने के उपरान्त ही कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे। किसी भी परिस्थिति में विद्यालय एकल शिक्षक न होने पायें।
08. सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका (द्वारा सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद पिथौरागढ़)
09. स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिका को इस आशय से प्रेषित कि वे एक सप्ताह के भीतर सम्बन्धित विकास खण्ड के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय से कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे।
10. कार्यालय सुरक्षित प्रति।

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा, पिथौरागढ़।